122वीं जयंती

वरीय संवाददाता। झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम कारी, महान हॉकी खिलाड़ी र राजनीतिज्ञ मरांग गोमके सिंह मुंडा की 122वीं जयंती (3 जनवरी) को है। वर्ष खूंटी सब डिविजन के टकरा पाहनटोली में प्रतिष्ठित मुंडा पाहन के घर जन्में जयपाल वासियों के महानायक माने रांग गोमके अपनी मृत्यु के 19 उच्चपदों पर आसीन अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता रे देश के आदिवासियों को न दिलाई और उनकी की।

मेदारियों को संभाला : से 49 तक अखिल

- बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण मरांग गोमके यानी महान नेता से अलंकृत हुए
- आदिवासियों के महानायक माने जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा

गैर आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह ने खोले थे झारखंड पार्टी के द्वार

पहली जनवरी 1950 झारखंड पार्टी की घोषणा का ऐतिहासिक दिन था। आरयू के सेवानिवृत्त प्रो. स्व. गिरिधारी राम गोंझू ने मरांग गोमके के स्मृति संस्करण में लिखा था- 'हम आज अपनी इस पार्टी के द्वार गैर आदिवासियों सदान और अन्य के लिए खोल रहे हैं। झारखंड पार्टी, झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक आदिवासी व गैर आदिवासी की अपनी राजनीतिक संस्था है। हम सभी को मिलकर काम करना है और अपनी उन्नति के लिए झारखंड के एक प्रशासकीय प्रांत के निर्माण के लिए संपूर्ण शक्तियों को नियोजित कर देना है।' यह उदगार थे जयपाल सिंह मुंडा के। उन्होंने जमशेदपुर में आदिवासी महासभा के सम्मेलन में यह घोषणा की थी।

भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1950 से 63 तक झारखंड पार्टी के अध्यक्ष, जमशेदपुर से प्रकाशित साप्ताहिक अबुआ सकम के संपादक का पद भी संभाला। साल 1943-46 तक सिविलियन एडवाइजर इस्टर्न कमांड सर्विस सेलेक्शन बोर्ड, 1942-46 तक मेंबर बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, 1944-45 तक चीफ बारडेन रांची एआरपी, 1940-45 में ओनररी एसिस्टेंट टेबिनवल रिक्रूटिंग ऑफिसर, 1950 से प्रेसिडेंट दिल्ली फ्लाइंग क्लब, कोमेनटेटर आनवर्ल्ड एंड पॉर्लियामेंटी अफेयर्स इन द ए आई आर सर्विस में 1946 में रहे।

इसके अलावा 1947 से 49 तक मेंबर इकोनॉमी कमेटी, 1951 से ध्यनचंद हॉकी टूर्नामेंट के चेयरमैन भी रहे। 1952 से दिल्ली रॉटरी क्लब के मेंबर, रेलवे बोर्ड के मेंबर, मेंबर शेड्यूल कासट्स स्नेडयूत ट्राइब्स एंड अदर्स बैकवर्ड क्लासेज स्कॉलरशिप कमेटी में 1952 से, प्रेम कमिशन में 1952 से 54 तक मेंबर, 1952-53 तक एस्टिमेट कमेटी के सदस्य रहे। वहीं, 1953 से पॉर्लियामेंट स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव, 1946 में संविधान सभा के सदस्य व 1952 से 20 मार्च 1970 तक सांसद रहे।

ग को ले के आरोप की दर्ज

संवाददाता। ना क्षेत्र के मुड़ला में यमुना नगर में नाबालिग लड़की ाने का मामला । आरोप एक है। लड़की की र इलाके में रहने युवक विकास प्राथमिकी दर्ज केस दर्ज किए स ने नाबालिग कर दी है।

यूको बैंक भारत सरकार का उपक्रम | सम्मान आपके विश्वास का

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) | Honours Your Trust

गुमला शाखा

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि

अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **यूको बैंक, गुमला शाखा** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) के अधीन और धारा 13(12) तथा संपठित प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **मेसर्स न्यू नूर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपराइटर (स्वामी) – मो. इमरान** को सूचना में उल्लेखित रकम राशि **रु. 6,00,621.05 (रुपये छह लाख छह सौ इक्कीस रुपये एवं पैसे पाँच मात्र) 14.02.2025 तक** 60 दिनों के भीतर पुनर्सदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना दिनांक **02.04.2024** को जारी किया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, की नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाएगा की अधोहस्ताक्षरी नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर **02 जनवरी, 2026** से कब्जा कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतदद्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया गया और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार यूको बैंक के प्रभार के अधीन **रु. 6,07,284.78 (रुपये छह लाख सात हजार दो सौ चौरासी एवं पैसे अठहत्तर मात्र) दिनांक 02.01.2026 तक**, तथा उस पर लागू न किया गया ब्याज + कानूनी शुल्क।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय भूमि के सभी भाग, जिसका क्षेत्रफल 1.1 डिसमिल (अर्थात 500 वर्गफुट) है, जो धोबी मुहल्ला, गुमला, मौजा: गुमला, वार्ड सं.: 13, थाना सं.: 59, थाना: गुमला, खाता सं.: 173, प्लॉट सं.: 429, जिला: गुमला, झारखंड में स्थित है। उक्त संपत्ति श्री नूर मिस्त्री, पिता – स्व. बदलू मिस्त्री के नाम पर विक्रय विलेख सं. 3068, दिनांक 20.12.2007 के माध्यम से निबंधित है। **सीमाएं :** उत्तर: मो. हमीद, दक्षिण: नगरपालिका मुख्य सड़क, पूर्व: जहांगीर की भूमि एवं अन्य, पश्चिम: मो. साबिर एवं अन्य

दिनांक : 02.01.2026 | स्थान : गुमला

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक

यूको बैंक भारत सरकार का उपक्रम सम्मान आपके विश्वास का

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) Honours Your Trust

GUMLA BRANCH

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas,

The undersigned being the authorised officer of the **UCO Bank, Gumla Branch** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **02.04.2024** calling upon the Borrower **M/s New Noor Electronics Prop. Md. Imran** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 6,00,621.05 (Rupees Six lakh Six Hundred Twenty One and Five Paise Only) as on 14.02.2025** within **60** days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him U/S 13(4) of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the **January 02nd, 2026.**

The borrower in particular and the public in general in hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK for an amount of **Rs. 6,07,284.78 only (Rupees Six Lac seven thousand two hundred eighty four and seventy eight paise only) as on 02.01.2026** and unapplied interest theron + Legal charges.

The Borrower's attention is invited to theprovision of Sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to edeem the secured asssets.

Description of Immovable Property

All that part and parcel of residential land measuring area 1.1 Decimal i.e. 500 sqft located at Dhobi Muhalla, Gumla, Mouza: Gumla, Ward no.: 13, Thana No.: 59, P.S.: Gumla, Khata no.: 173, Plot no.: 429, District: Gumla, Jharkhand, in the name of Noor Mistri S/o Late Badlu Mistri, vide sale deed no. 3068 dt. 20.12.2007 **Bounded by:** North: Md. Hamid, South: Nagarpalika Main Road, East: Land of Jahangir and others, West: Md. Sabir and Others

Authorised Officer
UCO Bank

Date : 02.01.2026 | Place : Gumla

Regional Office Samastipur : Panchvati Complex, Mohanpur Road, Samastipur (Bihar)-848101

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India** भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas:

The undersigned being the authorised officer of **Union Bank of India,** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the following borrowers and guarantors to repay the amount mentioned in the notice and as stated below. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules.

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Union Bank of India,** for an amount mentioned as stated below and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Branch Name	Name of the Borrower Name of the Mortgagor/Guarantor	Description of the Secured Assets	1. Amount of Demand Notice 2. Date of Demand Notice 3. Date of Possession
Dhamsain Branch. Darbhanga	**1. Mohd Naseem (Applicant/** Mortgagor) S/o Mohd Heera Khan, **2. Wasim Khan** (Co-Applicant/ Mortgagor) S/o Mohd Heera Khan, **3. Mohammad Sarfraz Alam (Guarantor)** S/o Abdul Hafiz Ansari All above Vill. Alinagar, PO Alinagar, Dist. Darbhanga, Bihar 847405	Land and building in the name of Wasim Khan & Mohd Naseem S/o Mohd Heera Khan situated at Mauza Alinagar, Anchal Alinagar, Pargana Dharaur, District Darbhanga, Bihar having Tauzi No 3692, Thana No 244 bearing land details as under: Khata No.- 486 (O) 436 (N), Khessra No.- 761, 762 (O) 2492 (N), Area- 1.52 Decimal or 7 Dhur, Boundary: N: Heera Khan, S: Md Hafeej, E: Rasta Kachi 6 ft wide, W: Md Kafil.	1. **Rs. 7,45,148.00/-** 2. **30.07.2025** 3. **30.12.2025**

Place : Darbhanga
Date : 02.01.2026

Authorised officer
Union bank of India

IDBI BANK आईडीबीआई बैंक लिमिटेड **IDBI BANK LIMITED**

Regional Office : N. Road, Kalyan Kutir, Opp. St. Mary's Church, Bistupur, Jamshedpur - 831001

CIN - L65190MH2004GOI148838

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) UNDER RULE - 8(1) APPENDIX-IV

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the **IDBI BANK LIMITED** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13(12) read with rule 3 of the